

इस्ता

न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

प्रकरण सं. 23 / सुपुर्दगीनामा / 1346

दिनांक 24.04.2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 85 / 2024 पुलिस थाना सदर जिला दौसा



हनीफ

बनाम

सरकार

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी अंतर्गत एफ.आई.आर. नंबर 85 / 2024 पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा
जुर्म अंतर्गत 5 / 8 राज० गोवंश अधिनियम 3 / 18, 146 / 96 एम.वी.एक्ट

मोचन आदेश (रिलीज आर्डर)

वास्ते

थानाधिकारी

पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा

चूंकि प्रार्थी हनीफ पुत्र सदरू मेव मुस्लिम, निवासी कोलगांव तहसील फिरोजपुर झिरका, नूंह मेवात हरियाणा ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या एस.बी. क्रिमीनल मिस.पिटीशन सं. 6610 / 2024 उनवानी हनीफ बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.4.2026 की पालना में इस न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार रूपये 2,00,000 / - (अक्षरे दो लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दगीनामा व इतनी ही राशि का जमानतनामा प्रस्तुत कर दिया है तथा इस न्यायालय ने स्वीकार कर लिया गया है।

अतः एतद्वारा आदेश दिया जाता है कि वाहन संख्या एच.आर.74 बी 6269 बोलेरो पिक अप को यदि किसी अन्य वाद से वांछित या सम्बन्धित न हो तो तुरन्त हनीफ पुत्र सदरू मेव मुस्लिम, निवासी कोलगांव तहसील फिरोजपुर झिरका, नूंह मेवात हरियाणा को नियमानुसार रसीद प्राप्त कर संभला दें।

आज न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से दिनांक 24.04.2026 को जारी किया गया।



जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, दौसा